न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 39/2018 **अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री आर0पी0पटवारी(विधिक सलाहकार) मोडर्न वूलन्स हमीरगढ रोड़, भीलवाड़ा
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा
—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 30/05/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 11.05.2018 को जरिये डाक अपील प्रेषित कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 27/03/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 40 एफ 922240 संलग्न कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा से सूचना चाही गई परन्तु नियत समय सीमा व्यतीत हो जाने पर भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.03.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ संलग्न कर जरिये डाक प्राप्त हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 18/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। अपीलार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित । प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर अपने पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2018 दिनांक 29.05.2018 से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 27.03.2018 जो कि सूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 03.04.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें अंकित 10 बिन्दुओं की इस कार्यालय एवं जिला उद्योग केन्द्र से सूचना

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्राप्त हो चुकी है बिन्दु संख्या 2 व 5 तहसीलदार भीलवाड़ा से सम्बन्धित होने से उन्हें स्थानान्तरित किया गया । समस्त बिन्दुओं की सूचना तैयार कर राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी को पत्रांक /सूचना प्रकोष्ठ/18/135 दिनांक 25.04.2018 को सूचित किया परन्तु राशि जमा नहीं कराने से सूचना प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार अपीलार्थी के आवेदनानुसार सूचना तैयार कर दिए जाने एवं अपीलार्थी द्वारा यह अपील सूचना समयावधि में नहीं मिलने का आधार बताकर प्रस्तुत की गई जिसे खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व अपील में दर्ज बिन्दुओं एवं दस्तावेजों के अध्ययन से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अपीलार्थी के द्वारा अपील के साथ संलग्न आवेदन में अंकित 10 बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या 01–06–09 जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा से सम्बन्धित होने तथा बिन्दु संख्या 2 व 5 की सूचना तहसीलदार भीलवाड़ा से सम्बन्धित होने से प्रत्यर्थी ने अपने क्रमशः पत्रांक /सूचना प्रकोष्ठ/2018/108 दिनांक 05.04.2018 को जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा को तथा पत्रांक /सूचना प्रकोष्ठ/2018/108 दिनांक 05.04.2018 से तहसीलदार भीलवाड़ा को उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई। शेष रहे बिन्दु संख्या 3–4–7–8–10 की सूचना में से बिन्दु संख्या 8 की सूचना राजस्व अनुभाग के पत्रांक 1730 दिनांक 01.05.2018 से बिन्दु संख्या 3 से सम्बन्धित सूचना विधि अनुभाग में संधारित होना नहीं पाए जाने से दिया जाना संभव नहीं है। बिन्दु संख्या 4–7–10 की सूचना राजस्व लेखा अनुभाग के पत्रांक प. 40–35 (6)(1)/1/ राले/18–19/11477 दिनांक 05.04.2018 से तैयार की जाकर प्रत्यर्थी भिजवाई। उक्त प्राप्त सूचना की फोटो प्रतिलिपि शुल्क की राशि जमा कराने हेतु सूचना प्रकोष्ठ के पत्रांक 135 दिनांक 25.04.2018 से सूचित किया गया परन्तु अपीलार्थी राशि जमा कराने नहीं आया न ही सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी उपस्थित हुआ व प्रत्यर्थी से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार भी नहीं किया। इसके बाद बिन्दु संख्या 1–6 व 9 की सूचना की फोटो प्रतियां जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा से सूचना प्रकोष्ठ में प्राप्त हो चुकी थी। यदि अपीलार्थी राशि जमा कराने या सूचना प्राप्त करने हेतु उपस्थित होता तो तैयार सूचना उसे उपलब्ध कराई जा सकती थी परन्तु अपीलार्थी ने कोई प्रयास नहीं कर यह अपील प्रस्तुत कर दी । अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 27.03.2018 को जरिये डाक प्रेषित किया जो प्रत्यर्थी को दिनांक 03.04.2018 को प्राप्त हुआ जिसकी अवधि 02.05.2018 को समाप्त होती है। प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी को सूचना तैयार होने तथा फोटो प्रतिलिपि शुल्क की राशि जमा कराने के सम्बन्ध में सूचना पत्र दिनांक 25.04.2018 को जारी किया जो जरिये डाक से दिनांक 27.04.2018 को भिजवाया जा चुका। इस प्रकार यह अपीलार्थी के द्वारा सूचना निःशुल्क प्राप्त करने के उद्देश्य से समयावधि व्यतीत कर प्रस्तुत की गई जो सारहीन प्रतीत होती है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को सूचना तैयार किए जाने एवं फोटो प्रतिलिपि शुल्क की राशि जमा कराने के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्ति की दिनांक 03.04.2018 से 30 दिवस की अवधि में सूचित किया जा चुका था इसके बावजूद यह अपील प्रस्तुत की गई जो सारहीन एवं बलहीन होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 30/05/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा